

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2024

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोजेन्ट

राधेश्याम पुत्र रेवन्तराम जाति बाह्यगण निवासी
थाम्बडिया तहसील खीवरार जिला नागौर।

नायब तहसीलदार खीवसर।

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 07.10.2024

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खीवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 57/2023 सरकार बनाम राधेश्याम में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्धा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.03.2024 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2024 की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 28.03.07 की फोटोप्रति पेश की।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अपीलान्ट दिनांक 09.01.2024 की पहली पेशी तारीख पर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया, उस समय पीठासीन अधिकारी सीट पर नहीं थे। रीडर ने अपीलान्ट के खाली आर्डरशीट पर अंगूठा कराकर बताया कि साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देने हेतु पीठासीन अधिकारी के कुर्सी पर बैठने पर आगामी तारीख निश्चित कर आगामी तारीख से अपीलान्ट को सूचित कर दिया जायेगा। लेकिन अपीलान्ट को आगामी पेशी से सूचित नहीं किया गया। दिनांक 04.03.2024 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये तथा अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी दी तथा कहा कि सात दिन में अपीलान्ट को बेदखल किया जायेगा। जिस पर अपीलान्ट ने तहसील जाकर जानकारी कराई तब सर्वप्रथम पता चला कि अपीलान्ट के पीठ पीछे दिनांक 09.01.2024 को ही नायब तहसीलदार खीवसर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। दिनांक 04.03.2024 से पहले अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी। तत्काल नकले प्राप्त कर यह अपील बिना विलम्ब के पेश की गई। दिनांक 08.03.2024 से दिनांक 10.03.2024 तक राज अवकाश था। जिससे यह अपील को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया। न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)- अपीलाधीन निर्णय अवैध अनाधिकृत विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](II)- वादग्रस्त भूमि जिस पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताकर धारा 91 की कार्यवाही की गई उस भूमि का मालिक स्वामी रामदीन लुहार था तथा यह भूमि रामदीन लुहार के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की पट्टा सुद भूमि रही है। रामदीन को इस भूमि का पट्टा राज्य सरकार के अधीनस्थ प्रतिनिधि विकास अधिकारी (आवंटन अधिकारी) ने सन् 1975 में आवासीय पट्टा जारी किया था।

[2](III)- रामदीन ने यह भूमि सुमेरचंद महाजन को जरिए बेचाननामों में बेच दी। अपीलान्ट ने सुमेरचंद महाजन से यह भूमि खरीदी। इस प्रकार वर्तमान में अपीलान्ट ने सुमेरचंद महाजन से यह भूमि खरीदी। यह भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं रही है, न अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर कब्जा है। अपीलान्ट के कमरे इस भूमि पर बने हुए हैं। यह भूमि आबादी भूमि है। जिस पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने का अधिकार नायक तहसीलदार को नहीं था।

6/10/24
अपर कलक्टर, नागौर

[2](IV)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत जवाब और जवाब के साथ पेश किये गये बेदाननामे पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया और न ही जवाब व बेदाननामे का अवलोकन विवेचन ही किया, इनको नजरअन्दाज कर सीधे ही निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

[2](V)-अपीलांत को रीडर ने बताया कि अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जायेगा तथा आगामी तारीख से सूचित कर दिया जायेगा। लेकिन अपीलान्त को न तो आगामी तारीख सूचित किया गया और न ही अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया गया। न सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपीलान्त निरर्थक अपास्त योग्य है।

[2](VI)- वादग्रस्त भूमि कभी रास्ते की भूमि नहीं रही है। आर.आई. व पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाई वह अपीलान्त की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है तथा अपीलान्त की मौजूदगी में कोई नाप चोप कभी नहीं किया गया ऐसी गलत, झूठी, एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

[2](VII)-वादग्रस्त भूमि अपीलान्त के मूल विक्रेता रामदीन के पूर्वजों के समय से कब्जे मालिकाना हक स्वामित्व को रहती रही है तथा इस भूमि का पट्टा रामदीन लुहार के नाम का आवंटन अधिकारी (विकास अधिकारी) द्वारा 12.01.1975 को जारी किया गया था।

[2](VIII)-वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है राजस्थान सरकार द्वारा सन् 1975 में अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूमि में से निशुल्क आवासीय भूखण्ड दिये गये थे। रामदीन लुहार श्रमिक व कारीगर होने से रामदीन को पट्टा जारी किया गया था। रामदीन को पट्टा जारी किया गया था। रामदीन का रहवासी झोपा इस भूखण्ड पर बना हुआ था तथा वर्तमान में अपीलान्त का कब्जा स्वामी मालिक की हैसियत से है। समय समय पर अपीलान्त ने राजकीय राशि प्राप्त कर इसमें निर्माण कराया।


[2](IX)-अपीलांत के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की आवासीय आबादी भूमि पर नायब तहसीलदार खीवसर को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार पट्टाधारी काबिज व्यक्ति के विरुद्ध भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही व निर्णय बिना क्षेत्राधिकार की होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, तथा अपीलान्त ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, आरएलडब्लू 2009 (3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की। (3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की।

[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्त द्वारा मौजा पांचला सिद्धा में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्त आदेश में अपीलान्त को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खीवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 57/2023 सरकार बनाम राधेश्याम में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्धा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है, पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2023 से ज्ञात होता है कि अपीलान्त ने खसरा नम्बर 1292 किस्म गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चम्पालाल जीनगर)
अपर क्लर्क,
अपर क्लर्क, नागौर
Page 02 of 02